न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 40/2023

उनवान

1.रामचन्द्र पुत्र स्व० होला, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम बाडीजोडी, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

–वादी

बनाम

1.राजस्थान सरकार (राज०) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जयपुर राज0

–प्रतिवादी

2. ग्यारसी देवी पत्नि स्व० होला
3. शांति देवी पुत्री स्व० होला
4. सीता देवी पुत्री स्व० होला
5. किरण देवी पत्नि स्व० रामलाल
6 गुड्डी देवी पुत्री स्व० रामलाल
7 अंकित पुत्र स्व० रामलाल
8. संदीप पुत्र स्व० रामलाल

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

समस्त व्यस्क, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम बाडीजोडी, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

–तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत खातेदारी घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1965

निर्णय दिनांक 18/12/24

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि साबिक खसरा नं0–320 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा वाकै ग्राम बाडीजोडी, तहसील बैराठ, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित रहा है जिसकी साबिक खातेदारी ज्ञाना, प्रभात्या, होला पि० वींजा जाति कुम्हार के नाम बराबर बराबर हिस्सा रहा है जमाबन्दी सं०–2020 से 2023 तथा पर्चा चकबन्दी सेटलमेन्ट संलग्न वाद पत्र पेश है।

यह कि उक्त भूमि साबिक खसरा नं0–320 के हाल सेटिलमेन्ट में हाल खसरा नम्बर 527 रकवा 0.47 है०वाकै ग्राम बाडीजोडी, तह० विराटनगर, जिला जयपुर हाल तहसील–शाहपुरा कायम किये गये है। मिलान क्षेत्रफल व हाल जमाबन्दी सलग्न वाद पत्र पेश है। यहकि उक्त हाल खसरा नं0–527 रकबा 0.47 है० भूमि की खातेदारी में वादी व तरतीवी प्रतिवादी के वुजुर्ग होला पुत्र वींजा का नाम सेटिलमेन्ट अधिकारीयो व कर्मचारीयो ने सहवन से होला की जगह दोला कर दिया जो आज वर्तमान जमाबन्दी में दोला पुत्र

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

बीजा गलत दर्ज है दोला पुत्र बींजा की मृत्यु दिनांक--10.12.2001 को हो चुकी है। वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण होला के नाम दर्ज उक्त भूमि साबिक खसरा नं0–320 हाल खसरा नम्बर 527 वाकै ग्राम बाडीजोडी के 1/3 हिस्से के भूमि के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान होने से खातेदार काश्तकार है होला के पुत्र रामलाल का दिनांक--25.06.2022 को देहान्त हो चुका है वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के अलावा होला के अन्य कोई वारिसान नही है। यह कि अभी दिनांक--13.02.2023 को वादी रामचन्द्र उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 527 की भूमि पर ऋण लेने हेतु जमाबन्दी लेने के लिए पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का ने राजस्व रिकार्ड देखकर कहा कि खसरा नम्बर 527 के 1/3 हिस्से पर दोला पुत्र बींजा नाम अंकित है इस पर वादी ने कहा कि मेरे पिता के नाम तो होला है तब पटवारी हल्का ने तहसीलदार महोदय--शाहपुरा से नाम दुरूस्ती हेतु मिलने के लिए कहा तब तहसीलदार–शाहपुरा से मिलने पर उन्होने कहा कि नाम दुरूस्ती का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी–शाहपुरा को है उनके समक्ष जाकर चारा जोही करो वादी ने कानूनी राय ली है और नाम और जवाबदेही घोषित करने के लिए न्यायालय के समक्ष उक्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 527 रकबा 0.47 है० भूमि पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने बुजुर्ग होला के साथ काबिज रहकर काश्त करते रहे है तथा आज वर्तमान में भी काबिज काश्त है राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने की वजह से उक्त भूमि की खातेदारी वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज नहीं हो सकी है इसलिए न्यायहित में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को दोला पुत्र बींजा नाम दुरूस्त कर होला पुत्र बींजा के नाम दर्ज 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है।

अन्त में निवेदन किया गया कि हाल आराजी खसरा नं0–527 रकबा 0.47 है० (साबिक खसरा नं0–320 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा) वाकै ग्राम बाडीजोडी, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर मे दोला पुत्र बींजा के स्थान पर होला पुत्र बींजा दुरूस्त कर उसके नाम दर्ज 1/3 हिस्से मे से वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं0–2 लगायत 4 प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से का तथा तरतीबी प्रतिवादी सं0–5 लगायत 8 को 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिवत प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक को तरतीबी प्रतिवादी सं0 02 लगायत 08 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन कुमार नारवाल ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण के संबंध में प्रतिवादी सं0 01 की ओर से तहसीलदार शाहपुरा को रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्रांक/भू0अ0/2024/3549 दिनांक 15.07.2024 के द्वारा रिपोर्ट भिजवाई गयी। हमने तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया। वकील तरतीबी प्रतिवादी के द्वारा प्रकरण के संबंध में जवाब पेश नही करने से जवाब बंद किया गया। दिनांक 30.08.2024 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र को धारा 136 एलआरएक्ट की मानकर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा

सुनवाई किये जाने का निवेदन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। हमने पत्रावली व वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया । अवलोकन उपरान्त न्यायहित में वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र को धारा 136 एलआरएक्ट को स्वीकार किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रकरण में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कहा कि हाल खसरा नं0–527 रकबा 0.47 है० भूमि की खातेदारी में वादी व तरतीबी प्रतिवादी के बुजुर्ग होला पुत्र बींजा का नाम सेटिलमेन्ट अधिकारीयो व कर्मचारीयो ने सहवन से होला की जगह दोला कर दिया जो आज वर्तमान जमाबन्दी में दोला पुत्र बीजा गलत दर्ज है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वकील वादी द्वारा पेश दस्तावेज, पर्चा चकबंदी सेटलमेंट, मिलान क्षेत्रफल का गहनता से अध्ययन करने पर जाहिर होता है कि हाल ख0 न0 527 जो कि पूर्व में सेटलमेंट के समय ख0 न0 320 था उसमें वादी के पिता का नाम होला पुत्र बीजा था जो कि सेंटलमेंट के दोरान नाम दोला पुत्र बींजा दर्ज हो गया। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त जवाब से इस बात की पुष्टि होती है कि सेटलमेंट से पहले राजस्व रिकार्ड में होला पुत्र बींजा दर्ज था अतः वादी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट 1956 स्वीकार करना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट 1956 स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नं0–527 रकबा 0.47 है० वाकै ग्राम बाडीजोडी, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर की जमाबंदी 2074–2077 खाता सं0 35 में दोला पुत्र बींजा जाति कुम्हार (प्रजापति) के स्थान पर होला उर्फ दौला पुत्र बींजा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बाडीजोडी तह0 शाहपुरा का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे ।

निर्णय आज दिनांक 18/12/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(संजीव कुमार खेदर)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)